"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मई 2021 — ज्येष्ठ 10, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2021

क्रमांक 5369/डी. 56/21-अ/प्रारू./छ.ग./21. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10-05-2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2021)

बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का सं.3) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में बन्दी अधिनियम, 1900 (केन्द्रीय अधिनियम 1900 का सं. 3) का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुये रूप में बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

धारा 31-क का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 31-क में, -

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द "इक्कीस" के स्थान पर, शब्द "बयालीस" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) उप-धारा (3) में, -

(क) खण्ड (i) में, शब्द "दो" के स्थान पर, शब्द "तीन" प्रतिस्थापित किया जाए; तथा

(ख) खण्ड (ii) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "चौदह" प्रतिस्थापित किया जाए.

अटल नगर, दिनांक 31 मई 2021

क्रमांक 5369/डी. 56/21-अ/प्रारू./छ.ग./21. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिनियम दिनांक 31-05-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2021)

THE PRISONERS (CHHATTISGARH AMENDMENT) ACT, 2021

An Act further to amend the Prisoners Act, 1900 (No. 3 of 1900) in its application to the State of Chhattisgarh.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Second Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Prisoners (Chhattisgarh Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Prisoners Act, 1900 (Central Act No. 3 of 1900), in its application to the State of Chhattisgarh.

2. The Prisoners Act, 1900 (No. 3 of 1900), (hereinafter referred to as the Principal Act) in its application to the State of Chhattisgarh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule 31-A.

3. In Section 31-A of the Principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the words “twenty one”, the words “forty two” shall be substituted.

(ii) in sub-section (3),-

(a) in clause (i), for the word “two”, the word “three” shall be substituted; and

(b) in clause (ii), for the word “ten”, the word “fourteen” shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.